सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
**STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR**

—: तार्किक—आदेश :—

वाद संख्या—विधि 60—77/2023.................   पटना, दिनांक—.....................................

माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर वाद—C.W.J.C.No- 10474/2023, लड्डू साहनी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक—19.01.2024 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिये गये न्याय—निर्णय का कार्यकारी अंश निम्नवत् है :—

"2. Learned Counsel appearing on behalf of the petitioner seeks to file detailed representation before the State Election Commission to take corrective measures at their part and also to direct the appropriate authority of the State Government.

3. Considering the aforesaid submission made on behalf of the petitioner, the respondents are directed to take all corrective measures and redress the grievance of the petitioner as prayed for in the present writ petition within a period of three months from the date of communication of this order."

2. उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिये गये उक्त निर्णय के आलोक में दिनांक— 28.10.2024 को आयोग में दिये गये **Representation** पर आयोग में वाद पर सुनवाई दिनांक—21.11.2024, 03.12.2024, 07.01.2025, 18.02.2025, 15.05.2025 तथा 03.06.2025 को की गई, जिसमें माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में नैसर्गिक न्याय के नियम का अनुपालन करते हुये, श्री लड्डू साहनी तथा प्रतिवादी श्री दिलीप कुमार उर्फ दिलीप कुमार साह को अपना पक्ष रखने हेतु पूर्ण अवसर प्रदान किया गया। वाद के सुनवाई में निर्धारित समयावधि से अधिक समय वादी अथवा उनके विद्वान अधिवक्ता के अनुरोध पर ही दिया गया।

दायर **Representation** में वादी द्वारा किये गये, माँग का वर्णन पारा—3, 4, 5, 6, 7, 8 एवं 9 अंकित है, जो निम्नवत् हैः—

(iii) That it is pertinent to mention here that the undersigned found that elected Mukhya Parsad namely Dilip Kumar was outsider of the newly created Nagar Parishad, Kanti and have no any assets i.e. house or shop, in the said nagar Parishad. Sri Dilip Kumar having residence of

Gram Panchayat Raj Dhamauli Ramnath west and his father namely Lakhindra Sah is present Mukhia of the said Panchayat.

(iv) That is is stated and submitted that Sri Dilip Kumar made cheating and added his and his wife nae in the voter list of Nagar Parishad without holding shop in the Area of the Nagar Parishad Kanti.

(v) That it is state that as per Gazette regarding "Nagarpalika Aam Nirwachan, 2022" it is clearly mentioned in para-5 that what is the qualification and disqualifications of candidate in Nagarpalika elicitation for the post of Mukhya Nagar Parishad.

(vi) That it is pertinent to mention here that the undersigned sent a representation dated 12-06-2023 to the State Election Commission, Patna, District Election Commission, Muzaffarpur and S.D.O.-Cum-Esu Divisional Election Officer, Muzaffarpur west for stay on the Oath ceremony to the newly elected Mukhya Parshad in Kanti Nagar Parishad i.e. Sri Dilip Kumar but nothing was done.

(vii) That the undersigned also sent a representation dated 14-06-2023 for the same relief to the State Election Commission, Patna, District Election Commission, Muzaffarpur but no step was taken to stay the Oath Ceremony of the newly Elected Mukhiya i.e. Sri Dilip Kumar the concern authorities.

(viii) That it is stated and submitted that those given false affidavit on oath would have to suffer jail for a term of a year of a fine or both of caught and it is crystal clear that the Sri Dilip Kumar would give false affidavit on oath.

(ix) That it is also stated and submitted that Dilip Kumar placed an affidavit in which he failed to comply the sanctum of the section 18 Rule 16(1)(i) of Bihar Nagarpalika Nirwachan Niymawali.

Under the above facts and circumstance, it is, therefore, prayed that your good selves may graciously be pleased to directing the concern respondent as to cancel the nomination paper of Dilip Kumar under the Bihar Panchayat Raj Act 2006."

3. वादी श्री लड्डू साहनी द्वारा आयोग में स्वयं तथा अपने विद्वान अधिवक्ता डॉ0 विपिन चन्द्रा के माध्यम से अपना पक्ष रखा गया, जबकि प्रतिवादी श्री दिलीप कुमार उर्फ

दिलीप कुमार साह का पक्ष उनके विद्वान अधिवक्ताओं श्री मनीष कुमार एवं श्री रंजीत चौबे द्वारा रखा गया।

4. वादी द्वारा आयोग को बताया गया कि उनका मुख्य परिवाद इस तथ्य पर है कि वर्तमान सभापति नगर परिषद् कॉंटी, श्री दिलीप कुमार साह द्वारा नामांकन–पत्र में साक्ष्य छुपाया गया है, उनके द्वारा शहरी भूमि शून्य दर्शाया गया, जो कि आयोग द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश एवं बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली–2007 के नियम–46(1)(i) के कंडिका–ट की अवहेलना है। इस प्रकार निर्वाची पदाधिकारी द्वारा इनका नाम अस्वीकृत करने के बजाय स्वीकर कर लिया गया। वर्तमान में नगर सभापति द्वारा शहरी भूमि शून्य लिखकर न्यायालय को गुमराह किया जा रहा है। **इस आशय का लिखित अंतिम** Representation **स्वयं प्रतिवादी द्वारा दिनांक–03.06.2025 को समर्पित किया गया।**

5. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री रंजीत चौबे द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी का दावा Improper acceptance of Nomination से संबंधित है। बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–476–सह–पठित धारा–479(1)(d)(i) के तहत संबंधित अवर न्यायाधीश के क्षेत्राधिकार से संबंधित है।

आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि उनके मुवक्किल का नाम विधिवत् रूप से मतदाता–सूची में दर्ज है तथा उनका मकान और परिसंपति नगर परिषद् कॉंटी में मौजूद है। आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि नगर परिषद् कॉंटी में क्षेत्र विस्तार के कारण पंचायत का वह हिस्सा जिसमें उनके मुवक्किल की संपति एवं मकान है, विस्तारित नगर क्षेत्र में शामिल हो गए। जिसके कारण वह स्वभाविक रूप से नगर परिषद् कॉंटी के मतदाता हो गए। चूँकि विस्तारित नगर परिषद् कॉंटी हेतु Holding का Creation नहीं किया गया था। ऐसे मामलों में राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार का पत्रांक–3853, दिनांक–14.09.2022 में ऐसे अभ्यर्थियों को बकाया रहित प्रमाण–पत्र जारी करने का आदेश सभी कार्यपालक पदाधिकारी/प्रशासक को दिया गया था। इस आदेश के अतिरिक्त नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार द्वारा भी इसी प्रकार का आदेश दिया गया था। अतः उनके मुवक्किल द्वारा बकाया रहित प्रमाण–पत्र प्राप्त कर निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लिया गया।

आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया किं प्रतिवादी का यह दावा भी तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है कि उनके द्वारा अपने संपति का ब्योरा छिपाया गया है। उन्होंने आयोग को बताया कि वादी जिस भूखण्ड की बात कह रहे है, वास्तव में

उस पर उनके मुवक्किल का घर बना हुआ है, जिसक वर्णन उनके नामांकन–पत्र में किया गया है। उनके द्वारा नामांकन–पत्र में अंकित **''भवन, रकवा 2.5 डिसमील मूल्य 18 लाख''** का अवलोकन आयोग को कराया गया तथा उसमें अंकित 2.5 डिसमील पर आयोग का ध्यानाकृष्ट कराया गया। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि ऐसी भूमि जिस पर भवन का निर्माण रहता है, उसका वर्णन भवन कॉलम में ही प्रायः किया जाता है। शहरी भूमि जिस पर कोई निर्माण नहीं किया गया हो, या रिक्त हो उसको शहरी भूमि कॉलम में अंकित किया जाता है।

उक्त वर्णित स्थिति में वैधानिक प्रावधानों एवं तथ्यात्मक रूप से वादी का दावा स्वीकार योग्य नहीं है।

6. जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–759, दिनांक–17.02.2025 द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसका प्रमुख अंश निम्नवत् है:–

I. **''जाँच के क्रम में पाया गया कि निर्वाचित मुख्य पार्षद का घर नगर परिषद् काँटी के वार्ड संख्या–26, नरसंडा में है। जाँच के समय मुख्य पार्षद श्री दिलीप कुमार अपने आवास पर उपस्थित थे, उन्होंने उक्त जमीन का केवाला प्रस्तुत किया। जिसमें का निबंधन वर्ष–2020 है, मकान बना पाया गया। उनके पिता का घर ग्राम पंचायत राज धनौली रामनाथ पश्चिम, वार्ड संख्या–08 में है, जो वर्तमान में उक्त पंचायत के मुखिया है।**

II. **पंचायत आम निर्वाचन नियमावली–2021 में श्री दिलीप कुमार वर्तमान मुख्य पार्षद काँटी का नाम ग्राम पंचायत राज धमौली रामनाथ पश्चिम, वार्ड संख्या–08 प्राथमिक विद्यालय सरमसपुर दक्षिण भाग पुराना भवन के क्रम संख्या–59 पर अंकित है, जो वर्तमान में ग्राम पंचायत क्षेत्र में है।**

काँटी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत अर्हत्ता तिथि–01.01.2022 के आधार पर दिनांक–01.11.2021 को प्रकाशित प्रारूप मतदाता–सूची में श्री दिलीप कुमार वर्तमान मुख्य पार्षद काँटी का नाम भाग संख्या–61 प्राथमिक विद्यालय सरमसपुर मतदान केन्द्र में मतदाता सूची के क्रम संख्या–473 पर अंकित है। उक्त मतदान केन्द्र ग्राम पंचायत के क्षेत्र में है।

श्री दिलीप कुमार द्वारा काँटी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत मतदान केन्द्र संख्या–61– प्राथमिक विद्यालय सरमसपुर के मतदाता–सूची से नाम विलोपित करने हेतु दिनांक–12.05.2021 को निर्वाचन आयोग के ''वेबसाईट'' पर प्रपत्र–7 में आवेदन किया गया। (आवेदन संख्या–EFL610372402) तत्पश्चात् काँटी विधान सभा निर्वाचन

क्षेत्र अन्तर्गत दिनांक–05.02.2022 को प्रकाशित अंतिम मतदाता–सूची में श्री दिलीप कुमार का नाम मतदान केन्द्र संख्या–55, प्राथमिक विद्यालय नरसंडा के क्रमांक–798 पर अंकित है, जो नगर परिषद् काँटी के क्षेत्रान्तर्गत है। उक्त मतदान केन्द्र के विखण्डन के पश्चात् नगरपालिका निर्वाचन–2023 में श्री कुमार का नाम नगर परिषद् काँटी के वार्ड संख्या–26 के क्रमांक–346 पर अंकित हुआ है।

III. नामांकन–प्रपत्र के कंडिका–5 में अंकित शपथ के आलोक में स्थलीय जाँच के क्रम में पाया गया कि श्री दिलीप कुमार वर्तमान मुख्य पार्षद काँटी के पास शहरी भूमि 2 डिसमील है, जिसका खाता संख्या–143, खेसरा संख्य–374, रकवा–2 डिसमील है, जिसका निबंधन वर्ष–2020 है। स्पष्टतया श्री कुमार उक्त तिथि के उपरांत आवासित हुए। उक्त क्रम में आँगनबाड़ी सेविका के अभिलेखों की भी जाँच की गयी। आँगनबाड़ी सेविका की सर्वे पंजी में 10.12.2021 में इनके परिवार का नाम दर्ज पाया गया।

IV. राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना के पत्रांक–3853, दिनांक–14.09.2022 के कंडिका–क के आलोक में नवगठित/सीमा विस्तारित नगर निकाय अन्तर्गत स्थित दुकान/Holding, जहाँ Holding दर का निर्धारण नहीं किया गया है, वहाँ के कार्यपालक पदाधिकारी/प्रशासक द्वारा अभ्यर्थी के आवेदन के आलोक में इस आशय का प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जायेगा कि नवगठित/सीमा विस्तारित नगर परिषद् नगर पंचायत अन्तर्गत वर्तमान में Holding का निर्धारण नहीं किया गया है। निर्वाची पदाधिकारी द्वारा नाम निर्देशन–पत्र के साथ प्रस्तुत उक्त प्रमाण–पत्र को ही बकाया रहित प्रमाण–पत्र के रूप में स्वीकार किया जायेगा।

तदोपरांत उपरोक्त दिशा–निर्देश के आलोक में नवगठित नगर परिषद् होने के कारण तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बकाया रहित प्रमाण–पत्र(No Dues Certificate) निर्गत किया गया। वर्ष–2024–25 में श्री दिलीप कुमार साह वर्तमान सभापति नगर परिषद् काँटी का अपने मकान का Holding Tax रसीद संख्या–1011, दिनांक–14.11.2024 द्वारा जमा कराया गया है।''

7. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा C.W.J.C.No- 10474/2023, लड्डू साहनी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक–19.01.2024 को पारित आदेश के आलोक में नैसर्गिक–न्याय का पालन करते हुये, वादी के दो प्रमुख आरोपों का परीक्षण उपलब्ध साक्ष्यों, तर्कों एवं तथ्यों के आधार पर आयोग द्वारा किया गया।

वादी एवं उनके अधिवक्ता द्वारा पूरे सुनवाई के क्रम में बार–बार अपना वक्तव्य एवं अनुरोध परिवर्तित किया गया, परन्तु मूल रूप से दो बिन्दु विचाराधीन थे, जिसमें

प्रथम बिन्दु प्रतिवादी के मतदाता–सूची में नाम होने से संबंधित एवं द्वितीय उनके Holding Tax के संबंध में की गयी घोषणा तथा नामांकन–पत्र में शहरी भूमि शून्य अंकित करने के संबंध में है।

प्रथम बिन्दु के संबंध में यह तथ्य पाया गया है कि नगर परिषद् कॉंटी के विस्तार के पूर्व प्रतिवादी का नाम ग्राम पंचायत राज धनौली रामनाथ पश्चिम, वार्ड संख्या–08 में था, परन्तु दिनांक–03.03.2021 को नगर पंचायत कॉंटी के क्षेत्र विस्तार एवं उत्क्रमण के पश्चात् उनके द्वारा अपना नाम दिनांक–01.01.2024 को निर्धारित अर्हत्ता तिथि के आधार पर अपना नाम नगर परिषद् कॉंटी के मतदाता–सूची में दर्ज कराया है। प्रतिवादी द्वारा स्वयं अंतिम सुनवाई दिनांक–03.06.2025 को यह स्वीकार किया गया कि कॉंटी के मतदाता के रूप में प्रतिवादी को स्वीकार करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं।

जिला प्रशासन की तरफ से उपलब्ध कराये गये जॉंच प्रतिवेदन के आधार पर भी यह प्रमाणित होता है कि प्रतिवादी का मकान वर्तमान कॉंटी नगर परिषद् के वार्ड संख्या–26 के नरसंडा में अवस्थित है, जिस भूखण्ड पर उनका आवास अवस्थित है, उसका निबंधन वर्ष–2020 में हुआ है एवं वहाँ बिजली का 'कनेक्शन' फरवरी, 2022 से है। अतः स्पष्ट है कि प्रतिवादी का नाम मतदाता–सूची में शामिल करने का पर्याप्त आधार/साक्ष्य उपलब्ध है। यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी द्वारा पहला आवेदन दिनांक–13.06.2023 को दिया गया है, जो कि निर्वाचन समाप्ति के बाद की तिथि है, अर्थात् उनके द्वारा मतदाता–सूची में प्रतिवादी के नाम को लेकर कभी कोई आपत्ति वैधानिक समयावधि में दायर नहीं की गयी है।

वादी का दूसरा आरोप जिसपर वह अधिक बल देते है, वह यह है कि प्रतिवादी द्वारा अपनी शहरी भूमि शून्य अंकित की गयी है और नगर परिषद् कॉंटी से बकाया रहित प्रमाण–पत्र प्राप्त किया गया है, जो कि परस्पर विरोधी है।

इस संबंध में वादी का कथन परस्पर विरोधी पाया गया है कि क्योंकि वादी द्वारा दिनांक–13.06.2023 को जो आवेदन दिया गया है, उसमें यह दावा किया गया है कि श्री दिलीप कुमार का घर और दुकान नगर परिषद् कॉंटी से बाहर है तथा नगर परिषद् कॉंटी में बिना Holding एवं दुकान के मतदाता–सूची में नाम जुड़वा लिया गया है, जबकि जिला प्रशासन के प्रतिवेदन से यह प्रमाणित है कि प्रतिवादी का मकान नगर परिषद् कॉंटी में फरवरी, 2022 से अस्तित्व में है।

आयोग प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क से सहमत है कि प्रतिवादी द्वारा नामांकन–पत्र के भवन खण्ड में मकान सहित भूखण्ड का विवरण अंकित किया गया है। अतः उनके द्वारा भूमि का विवरण अंकित किया गया है, कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

आयोग प्रतिवादी के इस तर्क से भी सहमत है कि वादी प्रतिवादी के Improper Acceptance of Nomination से क्षुब्ध है, तो उन्हें बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 के प्रावधानों के अनुसार संबंधित अवर न्यायाधीश के न्यायालय में चुनाव याचिका दायर करना चाहिए।

उक्त वर्णित स्थिति से यह स्पष्ट है कि वादी के दोनों के आरोप तथ्यतः प्रमाणित नहीं है। अतः उनके अनुरोध को अस्वीकृत किया जाता है।

उक्त आदेश के साथ दायर **Representation** को निष्पादित किया जाता है।

सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाए।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–
(डॉ0 दीपक प्रसाद)
15.07.2025
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार, पटना।

ह0/–
(डॉ0 दीपक प्रसाद)
15.07.2025
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– विधि 60–77/2023 पटना, दिनांक..................

प्रतिलिपि :–सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक– विधि 60–77/2023 3115 पटना, दिनांक 15.7.25

प्रतिलिपि :–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, **मुजफ्फरपुर**/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, **मुजफ्फरपुर** को सूचनार्थ प्रेषित। **मुजफ्फरपुर** को आदेश दिया जाता है कि आदेश के प्रति वादियों को तामिला कराते हुए तामिला प्रतिवेदन 48 घंटों के अन्दर आयोग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

15/7/25
विशेष कार्य पदाधिकारी